

कार्यालय स्वास्थ्य गैराज, नगर निगम, सहारनपुर।

संख्या 10 / स्वा 0 वि 0 / न 0 नि 0 सहा 0 / 2016-17

दिनांक- 19/12/16

अल्पकालिक निविदा सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में रिक्शा रेहडा की आपूर्ति हेतु इच्छुक निर्माता कम्पनी/इच्छुक फर्मों से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 26.12.16 को सांय 2.00 बजे तक प्रभारी अभिलेखागार कार्यालय, नगर निगम तथा अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) महोदय के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर निविदा सम्बन्धी शर्तें एवं अन्य जानकारी करने उपरान्त प्राप्त कर सकते हैं तथा निविदाएं शर्तों सहित दिनांक 27.12.16 को सांय 3.00 बजे तक अपर नगर आयुक्त एवं अपर जिला जिलाधिकारी(प्र०) महोदय के कार्यालय में रखे टैन्डर बाक्स में डाल सकते हैं। प्राप्त निविदाएं उसी दिन सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं एवं निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता को 10 प्रतिशत धनराशि की एफडीआर/डीडी/एनएससी/सीडीआर लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम जमानत के रूप में बन्धक करनी होगी तथा बिना जमानत राशि की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। शर्तें एवं अन्य जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय प्रभारी गैराज में देखी/समझी जा सकती है। टैन्डर एवं शर्तें <http://Saharanpur.nic>, <http://nagarnigamsaharanpur.in> एवं www.upgov.in पर भी देखा जा सकता है।

विवरण कार्य

क्र०स०	उपकरण का नाम	मात्रा	अनुमानित धनराशि प्रतिनग	जमानत राशि
1	रिक्शा रेहडा नीलम फ्रेंम पर, हैवी टायर टयूब	आवश्यकतानुसार	15000.00	150000.00

प्रभारी गैराज

नगर स्वास्थ्य अधिकारी


अपर नगर आयुक्त

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि -

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) महोदय, सहारनपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर।
4. प्रभारी रिकार्ड रूम को इस आशय से कि उक्त वर्णित तिथि में निविदा विक्रय करने हेतु।
5. प्रभारी एनआईसी को उक्त सूचना <http://Saharanpur.nic.in> पर अपलोड करने हेतु।
6. प्रबन्धक दैनिक ज.न.स. एवं दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र को इस आशय से कि उक्त सूचना का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में डीएवीपी दर पर प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

7. श्री कुलदीप कुमार आई0टी0ओ को इस निर्देश के साथ की उपरोक्त अंतिम वर्णित दो साईट पर निविदा नोटिस व शर्तें अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
9. गार्ड फाईल हेतु।


प्रभारी मैराज 16/12/16

नगर निगम, सहारनपुर।


नगर स्वराज्य अधिकारी 19/12/16


नगर निगम सहारनपुर



अपर नगर आयुक्त 19-12-16

नगर निगम, सहारनपुर।

14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तर (घ) में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के को क्रय किये जाने हेतु शर्तें

1. यह कि आपूर्तिकर्ता का आयकर/बिक्रीकर, एन0 एस0 आई0 सी0 व आई0एस0ओ0 में पंजीकरण होना अनिवार्य।
2. यह कि आपूर्तिकर्ता को बलैक लिस्ट में न होने का प्रमाण देना होगा।
3. यह कि आपूर्तिकर्ता को अपना चरित्र प्रमाण पत्र वैध अवधि का निविदा के साथ देना होगा।
4. यह कि आपूर्तिकर्ता को अपना हैसियत प्रमाण पत्र वैध अवधि का निविदा के साथ देना होगा।
5. यह कि आपूर्तिकर्ता को निविदा के साथ निविदा में अंकित कुल धनराशि का 02 प्रतिशत की धनराशि लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम एफेंडीआर/सीडीआर/डीडी/बैंक गारंटी के रूप में बन्धक करनी होगी तथा 8 प्रतिशत की धनराशि निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त बन्धक करनी होगी।
6. यह कि बिना जमानत राशि की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. यह कि निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, सहारनपुर में निहित होगा।
8. यह कि आपूर्तिकर्ता को सामग्री/उपकरण की आपूर्ति संलग्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार निर्धारित समयवधि में नगर निगम, सहारनपुर के स्वास्थ्य स्टोर गौराज पर करनी होगी। जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नगर निगम द्वारा नहीं किया जायेगा।
9. यह कि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स आपूर्तिकर्ता को वहन करना होगा।
10. यह कि आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति उपकरण/सामग्री की गारन्टी/वारन्टी देनी होगी।
11. यह कि किसी भी आपूर्तिकर्ता से उपकरणों की आपूर्ति बिल के साथ ही प्राप्त की जायेगी बिना बिल या वारन्टी कार्ड के आपूर्ति स्वीकार नहीं कि जायेगी।
12. यह कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान निगम द्वारा नहीं किया जायेगा।
13. यह कि आपूर्तिकर्ता वाहन के साथ आवश्यक टूल किट व फ्रस्ट ऐड किट उपलब्ध कराना होगा।
14. यह कि आपूर्ति पूर्ण रूप से लिये जाने तथा तकनीकी प्रशिक्षण सन्तोषजनक प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही निगम द्वारा की जायेगी।


(एस० बी० अग्रहरी)
प्रभारी/अ० अधि०
08/11/16
नगर स्वास्थ्य एवं कार्य
नगर निगम
सहारनपुर


अपर नगर सचिव
नगर निगम सहारनपुर
12/11/16

15. यह कि स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को अनुबन्ध हेतु अंकन रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर देना होगा यदि अनुबन्ध रजिस्टर्ड कराना पड़े तो उसका व्यय आपूर्तिकर्ता को वहन करना होगा ।
16. यह कि यदि किसी कारणवश निविदा दिनांक को अवकाश होता है तो निविदा की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में की जायेगी, जिसका कोई प्रकाशन समाचार पत्र में नहीं किया जायेगा।
17. यह कि आपूर्तिकर्ता को निविदा डालने से पूर्व शर्त व अन्य जानकारी प्राप्त कर निविदा डाली जायेगी ।
18. यह कि यदि निर्धारित समयावधि में आपूर्ति नहीं की जाती तो विभाग को अधिकार होगा कि जुर्माना निर्धारित करते हुए वसूल किया जायेगा। जिस पर आपूर्तिकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
19. यह कि आपूर्तिकर्ता को उपरोक्त शर्त के अधीन कार्य करना होगा तथा निगम प्रशासन को शर्तों में संशोधन करने का अधिकार होगा ।
20. यह कि आपूर्तिकर्ता को वाहन की आपूर्ति देने से पूर्व वाहन का प्रथम वर्ष का इन्श्योरेंस एवं आरटीओ सहारनपुर में परमानेन्ट रजिस्ट्रेशन कराने उपरान्त ही आपूर्ति देनी होगी ।
21. यह कि किसी भी वाद विवाद होने कि स्थिति मे न्यायिक क्षेत्र मा0 न्यायलय सहारनपुर होगा जिसका अंतिम निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

S. Singh
8/11/16
(एस० बी० अग्रहरि)
प्रभारी/अ० अभि०

S. Singh
08/11/16

अपर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम
सहारनपुर

S. Singh
15-12-16
अपर नगर अधिकारी
नगर निगम सहारनपुर